डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0 प्र0

सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2024 /4012 दिनांकः 11 सितम्बर, 2024

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजनान्तार्गत डिजीशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध छात्र–छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः I/736011/2024/16-3099/51/2021 दिनांक 06.09.2024 एवं पत्रांक I/738156/2024/16-3099/51/2021 दिनांक 09.09.2024 के साथ संलग्न औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र 667 / 77–1–2024 दिनांक 27.08.2024 एवं प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्याः– D/24-24/1951 दिनांक 31.08.2024 अवलोकन करने का कष्ट करें।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपर्युक्त पत्र मे दिये गये निर्देशों के क्रम में औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 27.08.2024 एवं प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र दिनांक 31.08.2024 में की गयी अपेक्षा का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

11/9/24

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
2. उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0, शासन, लखनऊ।
3. स्टाफ आफीसर, मा0 कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(डॉ0 आर0 के0 सिंह)
उप कुलसचिव

ई-मेल

संख्या:I/736011/2024/16-3099/51/2021

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, उ०प्र० लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, उ०प्र० कानपुर।
3. कुलसचिव, एम0एम0एम0यू0टी0, उ०प्र० गोरखपुर।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
7. निदेशक, कमला नेहरु प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
8. निदेशक, समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, उ०प्र०।
9. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/अनुदानित पॉलिटेक्निक (द्वारा निदेशक)।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक:06-09-2024

विषय- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजनान्तर्गत स्मार्टफोन/टैबलेट वितरण से पूर्व डिजीशक्ति पोर्टल पर प्रत्येक पात्र लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या:- 667/77-1-2024 दिनांक 27.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजनान्तर्गत टैबलेट/स्मार्टफोन प्राप्त करने के पात्र लाभार्थियों के मध्य टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण की डूप्लिकेसी को रोकने हेतु उनका आधार प्रमाणीकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। लाभार्थियों हेतु आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू करने के लिये डिजीशक्ति वेबसाइट/पोर्टल पर वांछित व्यवस्था सृजित कर दी गयी

है।

2.   इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना से सम्बंधित नोडल अधिकारियों को औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 27.08.2024 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

भवदीय,

Signed by
Chiraunji Lal (चिरौंजी लाल)
Date: 06-09-2024 14:38:41 उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि मय संलग्नक प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

<u>संलग्नक: यथोक्त।</u>

आज्ञा से,

(चिरौंजी लाल)
उप सचिव।

ई-मेल

संख्या:I/738156/2024/16-3099/51/2021

प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, उ०प्र० लखनऊ।
2. कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, उ०प्र० कानपुर।
3. कुलसचिव, एम0एम0एम0यू0टी0, उ०प्र० गोरखपुर।
4. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, बुंदेलखण्ड अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झांसी।
7. निदेशक, कमला नेहरु प्रौद्योगिकी संस्थान, सुल्तानपुर।
8. निदेशक, समस्त राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, उ०प्र०।
9. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय/अनुदानित पॉलिटेक्निक (द्वारा निदेशक)।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक:09-09-2024

विषय- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध छात्र-छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या:- D/24-24/1951 दिनांक 31.08.2024 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 31.08.2024 में की गयी अपेक्षा के क्रम में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना से सम्बंधित नोडल अधिकारियों को योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
Chiraunji Lal
Date: 09-09-2024 18:51:04

(चिरौंजी लाल)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि मय संलग्नक प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

(चिरौंजी लाल)
उप सचिव।

DR(R) 2393 10/9/24

Reg 10/9/24

up@desco

सन्दर्भ संख्याः-D/24-25/1951
दिनांकः- 31-08-2024

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति वेबपोर्टल पर उपलब्ध छात्र-छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि शासनादेश संख्या 667/77-1-2024 दिनांक 27.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत डिजीशक्ति वेबपोर्टल पर उपलब्ध छात्र-छात्राओं के डाटा की डुप्लीकेसी रोकने हेतु आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में समस्त जनपदों को आवश्यक कार्यवाही कराये जाने के दिशा-निर्देश दिए गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि संस्थानों द्वारा अपलोड किया गया डाटा संस्थान द्वारा वेरीफाई, सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा अप्रूव एवं सम्बंधित विभाग द्वारा लॉक किये जाने के पश्चात ही उपकरण प्राप्त करने हेतु पात्रता की सूची में आता है।

3. उपरोक्तानुसार डिजीशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध सभी लाभार्थियों जिनका डाटा विभाग द्वारा लॉक किया जा चुका है तथा उनको डिवाइस वितरण होने शेष हैं, ऐसे सभी लाभार्थियों को शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया सम्पन्न करनी होगी। उक्त प्रक्रिया दिनांक 02.09.2024 से लाइव की जायेगी जिसके पश्चात ऐसे लाभार्थियों का डाटा जोकि सम्बन्धित विभाग द्वारा लॉक किये जाने के उपरान्त संस्थान के लॉगिन पर उपलब्ध है वह डिवाइस वितरण हेतु जनपद के लॉगिन पर संस्थान द्वारा तभी अग्रसारित किया जा सकेगा जब उन लाभार्थियों द्वारा पोर्टल पर अपना आधार प्रमाणीकरण करा लिया गया हो। यदि उक्त निर्धारित दिनांक के पूर्व संस्थान द्वारा लाभार्थियों का डाटा वितरण हेतु जनपद स्तर पर अग्रसारित किया जा चुका है तो भी उन लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण के पश्चात ही जनपद स्तर से उन्हें वितरण हेतु चयनित किया जा सकेगा।

(महेश चन्द्र)
निजी सचिव, श्रेणी-2
विशेष सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग
उ० प्र० शासन

4. उक्त प्रक्रिया के सम्पादन हेतु विभाग स्तर से लॉक हुये लाभार्थियों के डिजीशक्ति पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एक एसएमएस के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण किये जाने हेतु लिंक भी उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही डिजीशक्ति की वेबसाइट https://digishakti.up.gov.in पर दिये गये लिंक के माध्यम से भी आधार प्रमाणीकरण किया जा सकता है। इस संबंध में दिशानिर्देश डिजीशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड
(उ. प्र. सरकार का उपक्रम)
अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ– 226010 दूरभाष : 0522–2307803
Email : mdupdesco.up@gmail.com | website : www.upite.gov.in/UPDESCO

5. सूच्य है कि Aadhaar e-KYC Status-Failed प्रदर्शित होने की स्थिति में सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा उपयुक्तता के आधार पर डिजीशक्ति पोर्टल पर संस्थान के नोडल अधिकारी से समन्वय कर अथवा अपने आधार कार्ड के विवरण में आवश्यकतानुसार संशोधन कराया जाना होगा। पोर्टल पर विवरण संशोधन कराये जाने की स्थिति में लाभार्थी का डाटा निर्धारित प्रक्रियानुसार संस्थान द्वारा पुनः वेरीफाई, सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा अप्रूव एवं सम्बंधित विभाग द्वारा लॉक किये जाने की कार्यवाही की जानी होगी। उक्त किसी भी स्तर से डाटा की त्रुटिया ठीक कराने के पश्चात लाभार्थी द्वारा पुनः आधार प्रमाणीकरण किया जाना होगा।

आपसे अनुरोध है कि योजना से सम्बन्धित नोडल अधिकारी को अपने जनपद में उपलब्ध सभी संस्थानों के नोडल अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुये यह जानकारी सभी छात्रों तक प्रभावी रूप से पहुँचायें जाने तथा इस प्रक्रिया को तत्परता से पूर्ण कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें जिससे कि सभी लाभार्थियों को योजना का ससमय समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

भवदीया,

संलग्नक: यथोक्त।

Signed by
Neha Jain
Date: 30-08-2024 22:46:36
(नेहा जैन)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
2. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ.प्र. शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम, पशुधन विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, संस्कृति विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
4. कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी, राजीव गाँधी नेशनल एवीएशन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अमेठी।
5. नोडल अधिकारी (योजना से आच्छादित समस्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/सोसाइटी/काउन्सिल)।

(नेहा जैन)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 667/77-1-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2024**

विषय:- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण से पूर्व डिजीशक्ति पोर्टल पर पात्र प्रत्येक लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 975/77-1-2022-156/2021, दिनांक 18.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु व्यापक दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त योजनान्तर्गत यूपीडेस्को को नोडल संस्था नामित किया गया है। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु विकसित डिजीशक्ति पोर्टल (https://digishaktiup.in/app) के माध्यम से लाभार्थियों के मध्य टैबलेट/स्मार्टफोन के वितरण की कार्यवाही करायी जाती है। साथ ही योजनान्तर्गत लाभार्थियों, शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, विभागों आदि स्टेकहोल्डर्स के मध्य वांछित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये डिजीशक्ति वेबसाइट (https://digishakti.up.gov.in) भी क्रियाशील है।

2- अवगत कराना है कि टैबलेट/स्मार्टफोन के वितरण की कार्यवाही हेतु डिजीशक्ति पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया एवं शिड्यूल के अनुसार लाभार्थियों के डाटा को उनके सम्बन्धित संस्थान द्वारा पोर्टल पर अपलोड कर वेरीफाई किया जाता है। तत्पश्चात सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा डाटा अप्रूव किया जाता है तथा अप्रूव किये गये डाटा को सम्बन्धित विभाग द्वारा लॉक किया जाता है। उक्त प्रक्रिया से लॉकिंग उपरान्त ही लाभार्थी डिजीशक्ति पोर्टल पर टैबलेट/स्मार्टफोन पाने के लिये पात्र होते हैं। पात्र लाभार्थियों के मध्य टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण की डुप्लीकेसी को रोकने हेतु उनका आधार प्रमाणीकरण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। लाभार्थियों हेतु आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू करने के लिये डिजीशक्ति वेबसाइट/पोर्टल पर वांछित व्यवस्था सृजित कर दी गयी है।

3- उक्त व्यवस्थान्तर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण हेतु डिजीशक्ति वेबसाईट के होम पेज पर लिंक उपलब्ध होगा। टैबलेट/स्मार्टफोन प्राप्त किये जाने के पूर्व पात्र लाभार्थी द्वारा अपने आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही निम्नवलिखित प्रक्रियानुसार पूर्ण की जानी होगी जिसका विस्तृत विवरण/यूज़र मैनुअल Annexure-1 पर उपलब्ध है:-

(1) लाभार्थी द्वारा डिजीशक्ति वेबसाईट (https://digishakti.up.gov.in) पर उपलब्ध "e-KYC through Meri Pahchan Portal" लिंक क्लिक किया जाना होगा।

(2) तदुपरान्त लाभार्थी द्वारा "Search Student Details" पेज पर अपना वांछित विवरण यथा विश्वविद्यालय एवं संस्थान का नाम तथा एन्रोलमेन्ट नम्बर भरकर अपना नाम सर्च किया जाना होगा।

(3) लाभार्थी का विवरण सर्च हो जाने की दशा में e-Pramaan Meri Pahchan Portal के माध्यम से सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा निम्नवत आधार प्रमाणीकरण किया जाना होगा:-

(i) लाभार्थी द्वारा e-Pramaan Meri Pahchan Portal पर स्वयं को पंजीकृत कर e-KYC सम्पन्न किया जाना होगा।

(ii) लाभार्थी द्वारा अपने आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर अथवा ई-मेल आईडी पर ओटीपी प्राप्त करते हुये आधार प्रमाणीकरण किया जाना होगा।

(4) उपरोक्तानुसार पात्र लाभार्थी का डिजीशक्ति पोर्टल पर Name, Gender एवं Date of Birth सम्बन्धी विवरण, उक्त लाभार्थी के आधार पर उपलब्ध इन विवरणों के समान होने की स्थिति में वेबसाईट के "Search Student Details" पेज पर Aadhaar e-KYC Status-Verified प्रदर्शित होगा।

(5) उक्त विवरण के समान नहीं होने की स्थिति में वेबसाईट पर Aadhaar e-KYC Status-Failed प्रदर्शित होगा।

4- Aadhaar e-KYC Status-Failed प्रदर्शित होने की स्थिति में सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा उपयुक्तता के आधार पर डिजीशक्ति पोर्टल पर अथवा अपने आधार कार्ड के विवरण में आवश्यकतानुसार संशोधन कराया जाना होगा। विवरण संशोधित होने के पश्चात उपरोक्त बिन्दु-5 की प्रक्रियानुसार पात्र लाभार्थी द्वारा पुनः आधार प्रमाणीकरण हेतु कार्यवाही की जानी होगी।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी के माध्यम से योजना से सम्बन्धित जनपद के समस्त संस्थानों के नोडल अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुये पात्र लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक : यथोपरि।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम, पशुधन विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, संस्कृति विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ शिक्षण संस्थानों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी, केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी, राजीव गाँधी नेशनल एवीएशन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अमेठी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धितों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

Annexure-1

User Manual for Aadhaar Authentication

Step 1 - Student need to visit to Digishakti website (URL- https://digishakti.up.gov.in) and click on the **e-KYC through MeriPehchaan Portal** button.

Step 2 - Select/fill following fields available on the screen and click on **"Search"** button.

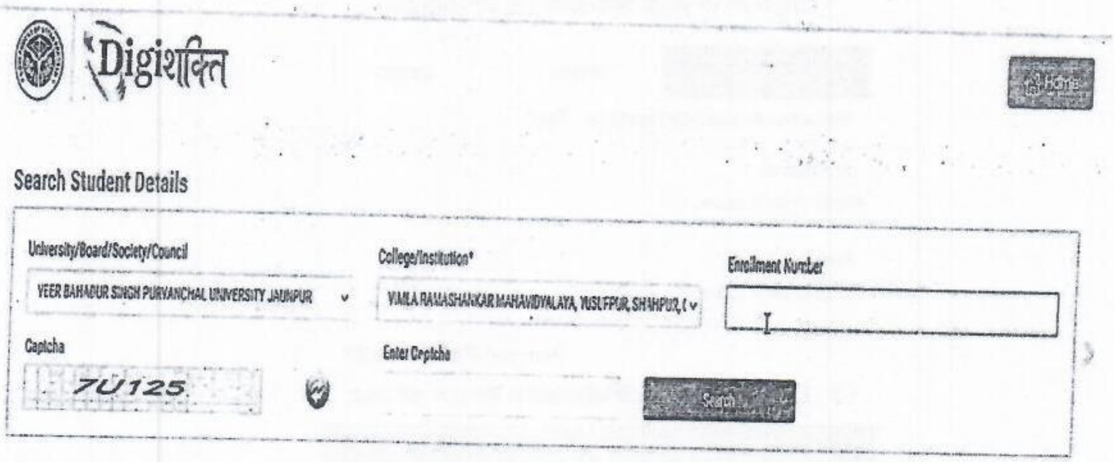

Step 3 - Details of student from the Digishakti Portal will be fetched and appear on the screen. If the Aadhaar e-KYC Status is Pending, click on **"Verify through the Login Using e-Pramaan MeriPehchaan"** button.

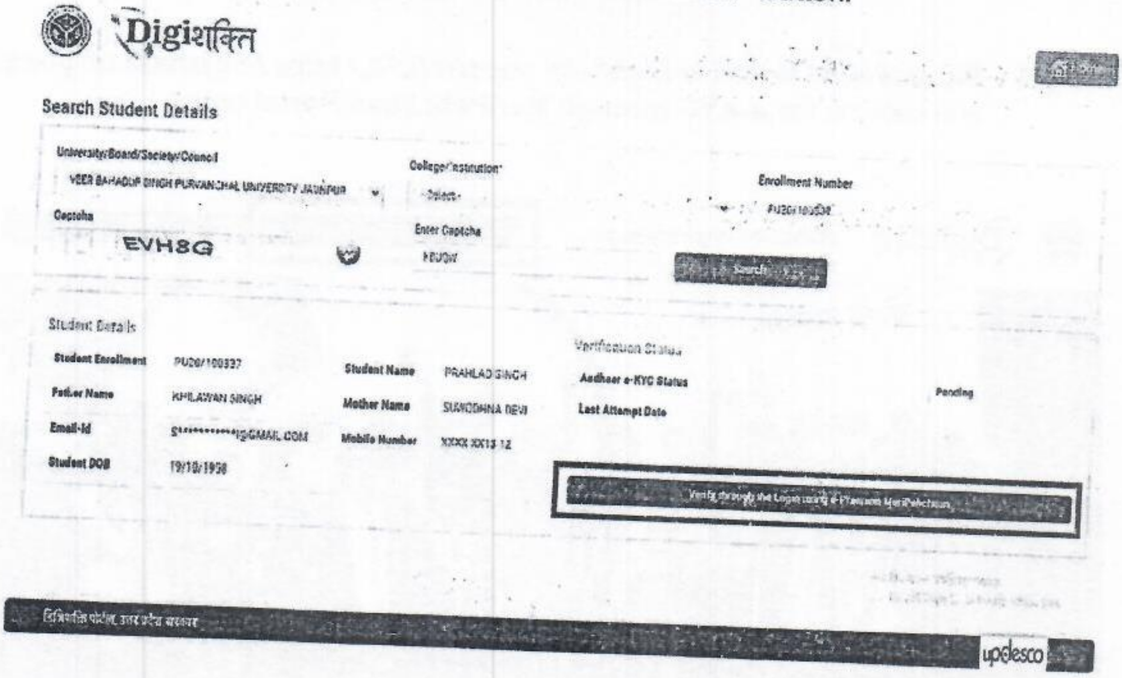

Step 4 - Student will be redirected to MeriPehchaan for Sign-In/Sign-Up.

- If a student already has an account with "MeriPehchaan", he/she can **Sign-In** through his/her Log-In credentials.
- In case of new user, student need to click on **"New user? Signup for MeriPehchaan".**

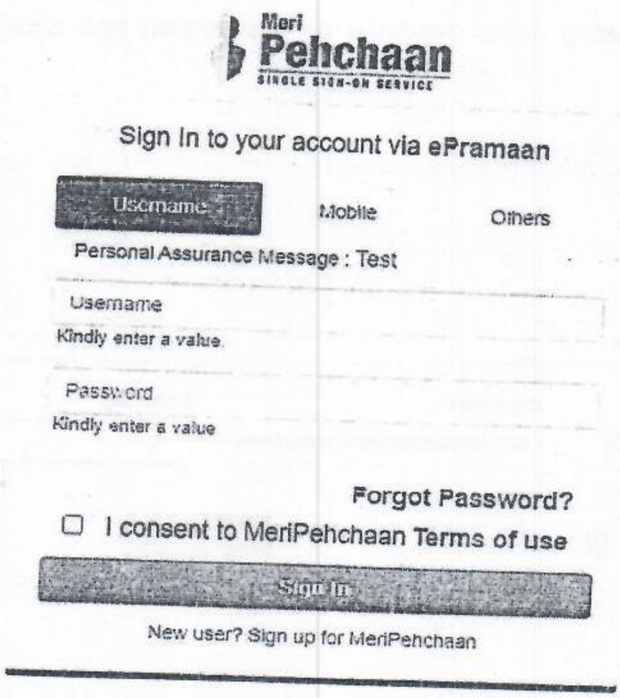

Step 5 - In case of new user, Student need to enter Mobile Number, click on Generate OTP and then Verify through OTP.

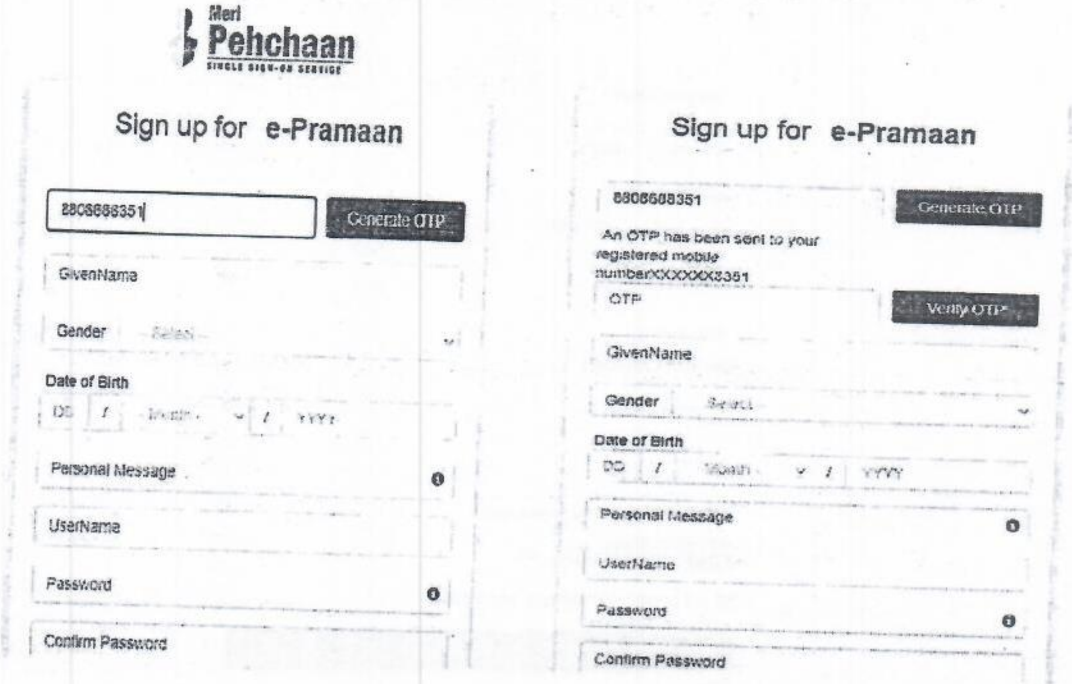

Step 6 - Accept the terms & conditions and click on sign-up button as shown in the next step.

permitted by the copyright policy of this terms of use

User Responsibility:
You must:

- Be a natural person to access or seek to access Service.
- Have a MeriPehchaan Service account.
- Not permit any other person to use your username and password or any credentials; keep your account username, password or any credentials safe and confidential, at all times and not disclose your to anyone else;
- Report to the MeriPehchaan HelpDesk immediately if you suspect that the security of your MeriPehchaan account may have been compromised e.g.: your password or username has been lost or stolen. Contact MeriPehchaan helpdesk using the details available at Contact Us.
- Ensure your personal details (including your name, Gender, date of birth, Aadhaar number, PAN number, mobile number,) are accurate and kept up to date with MeriPehchaan;
- Details on MeriPehchaan may only be accessed through the MeriPehchaan portal, and only using the username and authentication details which have been specifically allocated to you.
- You must use MeriPehchaan service and your MeriPehchaan account in accordance with these Terms of Use. This includes avoiding conduct which is unlawful or which may harass or cause distress or inconvenience to any person, the transmission of obscene or offensive content or disruption to MeriPehchaan
- You must not transmit via MeriPehchaan any unlawful, defamatory, obscene, offensive or scandalous material, or any material that constitutes or encourages conduct that would contravene any law.

Accept Decline

Step 7 - After filling the details and accepting the terms and conditions, Student need to click on **"Sign-UP"** button

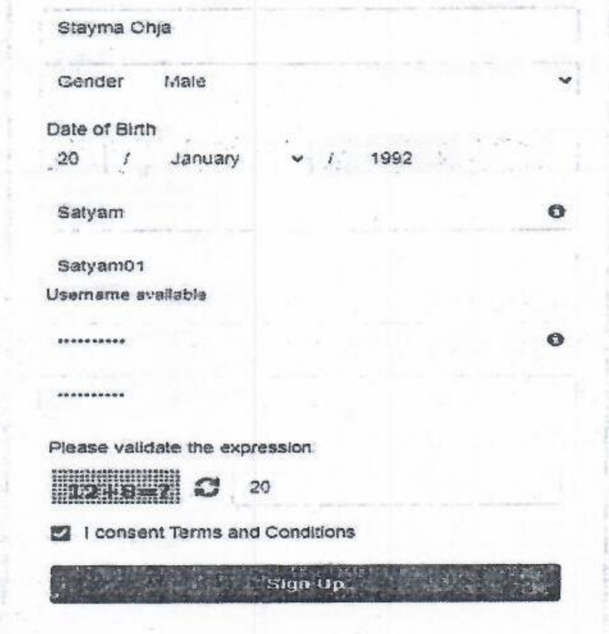

Step 8 - Aadhaar e-KYC page will appear. Student will enter Aadhaar number and Choose OTP medium as mobile or email and click on **"verify through e-KYC"** button.

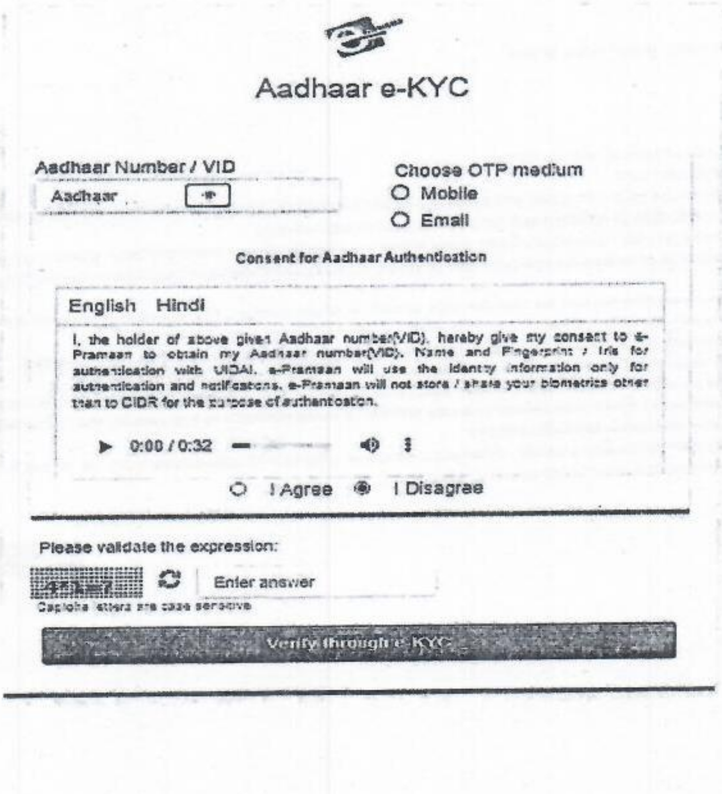

Step 9 - An OTP will be sent on Registered Mobile Number or Email id. Enter the OTP and click on **"Verify"** button.

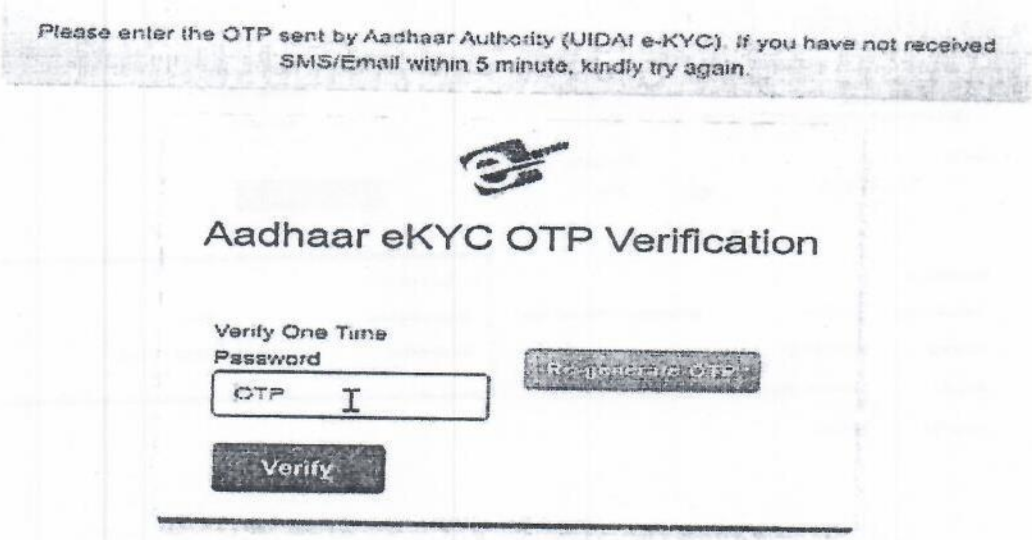

Step 10- A Success Message will appear if details are verified Successfully.

Step 11- After Successful verification, the Verification Status on "**Search Student Details**" page will change to **"Verified"** and "Verify through the Login Using e-Pramaan MeriPehchaan" button will disappear.

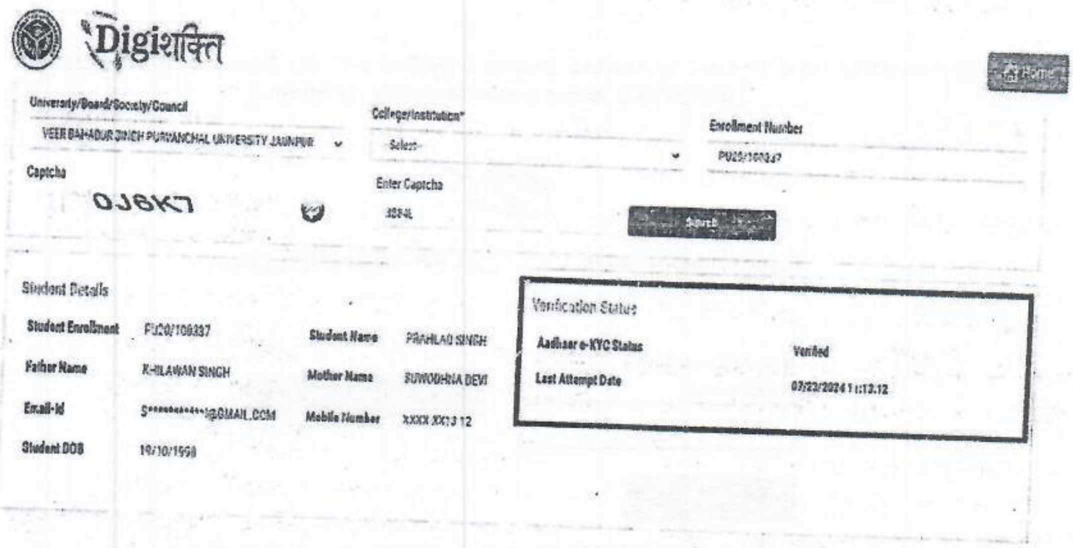

In case of "Verified" Status-

- The student's data will be visible at Institute level for forwarding the data to District nodal officer level to get the device.
- In case the data is already forwarded to District then data will be visible to District nodal officer level for selection.

Step 12- In case the details **(Name, Gender & Date of Birth)** of student on the Digishakti Portal uploaded by their respective Institute do not match with the details available on his/her Aadhaar then an alert message with mismatched details will appear.

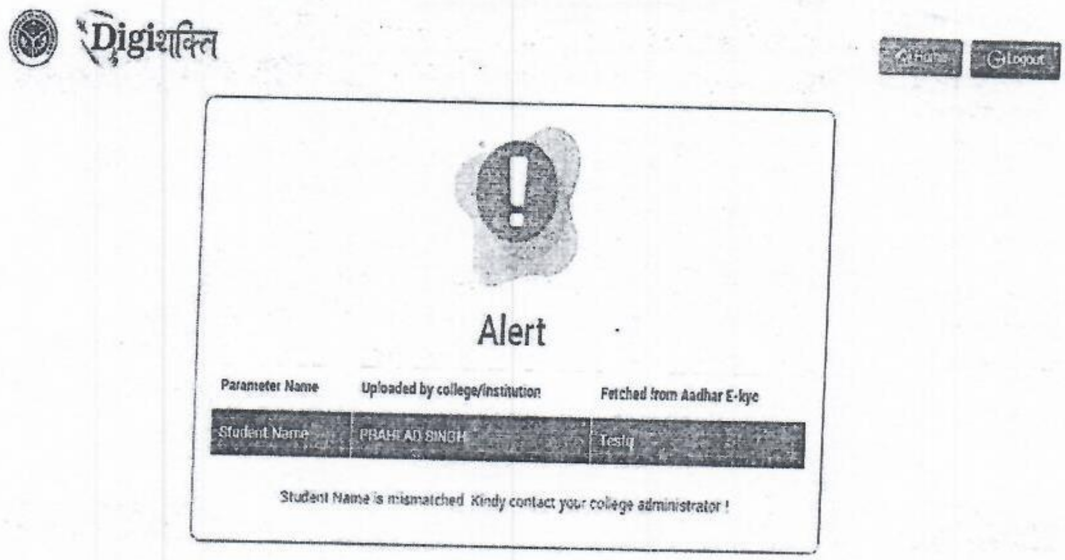

Step 13- If the Verification Status on Digishakti Website Link shows as **"Failed"**, Student need to contact his/her Institution Nodal Officer to edit the mismatched details on the Digishakti portal or make necessary amendments in the details of his/her Aadhaar card.

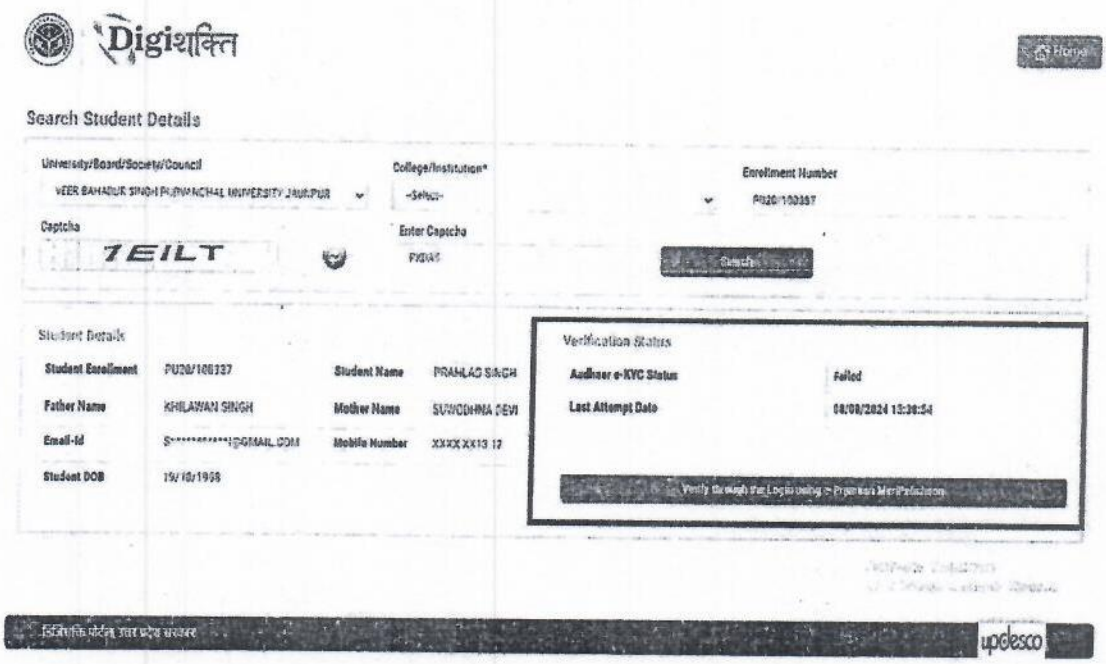

In case of "Failed" Status-

- The student needs to contact his/her Institution Nodal Officer to edit the mismatched details on the Digishakti portal or make necessary amendments in the details of his/her Aadhaar card.
- After corrections, the student's data undergoes the complete authentication process (verification by institution, approval by University, and locking by Department).
- Following this, the data becomes available again for Aadhaar verification by the student.